राजस्थान–सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 221/2020

बउनवान

धनलाल पुत्र लालजीराम लोधा निवासी मवासाव्यास तहसील छबड़ा जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री हजारीलाल भार्गव अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 14.09.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 682/2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम मवासाव्यास की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 10 की रकबा 10 बिस्वा भूमि पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 25/– रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 02.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली पाँच बार तलब किए जाने के उपरांत भी नहीं भिजवाने पर अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को हीं आधार मानकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बिना पी–14 की नकल शामिल किए व पटवारी के बयान दिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 12:11:31 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली पाँच बार तलब की गई। उनके द्वारा इस न्यायालय में नहीं भिजवाया जाना खेदजनक है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को हीं आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी जाकर आदेश सुनाया गया।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 682/2019 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम मवासाव्यास तहसील छबडा के खसरा नम्बर 10 की रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नही पाया जावें, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 682/2019 मे पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 12:11:31 IST
Reason: SelfAttested